



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 2007/आषाढ़ 2, 1929

No. 284]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 2007/ASADHA 2, 1929

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2007

भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि

सा.का.नि. 441 (अ).—भारत गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बीच 16 अक्टूबर, 2003 को नई दिल्ली में संपन्न की गई प्रत्यर्पण संधि और इस संधि के अनुच्छेद 23 के अनुसार 23 नवम्बर, 2005 को प्रीटोरिया में अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया और इस संधि में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं ;

भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार जिन्हें इसमें इसके बाद "संविदाकारी राज्य" कहा गया है;

प्रत्यर्पण से सम्बद्ध संधि सम्पन्न करके अपराध को रोकने और उसका दमन करने में अपने-अपने सहयोग को अधिक प्रभावी बनाने की इच्छा से;

एक-दूसरे की वैधानिक पद्धतियों तथा न्यायिक संस्थाओं के प्रति सम्मान की पुनः पुष्टि करते हुए;

निम्नलिखित के अनुसार सहमत हुई है :-

अनुच्छेद एक

प्रत्यर्पण का दायित्व

प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस संधि के प्रावधानों के अनुसार उन व्यक्तियों को एक दूसरे को प्रत्यर्पित करने पर सहमत हुए हैं जो किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए मुकदमा/अभियोजन चलाने अथवा अनुरोधकर्ता राज्य में सजा आरोपण अथवा लागू करने के लिए वांछित हैं।

2861 GI/2007

अनुच्छेद दो

प्रत्यर्पणीय अपराध

1. इस संधि के प्रयोजनार्थ प्रत्यर्पण ऐसे कृत्य के लिए मंजूर किया जाएगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अन्तर्गत एक अपराध बनता है जो कम से कम एक वर्ष के लिए स्वतंत्रता के हनन अथवा और कठोर दण्ड के लिए दण्डनीय हो।

2. जिस मामले में प्रत्यर्पण का अनुरोध ऐसे व्यक्ति से संबंधित हो जिसे प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए अनुरोधकर्ता राज्य के न्यायालय द्वारा स्वतंत्रता के हनन के लिए सजा दी गई हो, उसका प्रत्यर्पण तभी मंजूर किया जाएगा यदि सजा देने की अवधि अभी कम से कम छह माह के लिए शेष रह गई हो।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ यह निर्धारित करने के लिए क्या कोई कृत्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के विरुद्ध एक अपराध है :-

(क) यह कोई महत्व का मामला नहीं होगा कि संविदाकारी राज्यों के कानून उस कृत्य जो एक अपराध बनता है, को उसी श्रेणी के अपराध के भीतर रखता है अथवा उस अपराध को उसी शब्दावली के रूप में वर्णित करता है ;

(ख) उस व्यक्ति के विरुद्ध आरोपित अचरण की सम्पूर्णता जिसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है, को हिसाब में लिया जाएगा और यह कोई महत्व का मामला नहीं होगा कि संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अन्तर्गत अपराध के घटक तत्व भिन्न-भिन्न हैं।

4. करों, सीमाशुल्कों, विदेशी मुद्रा नियंत्रण से संबंधित कानून के विरुद्ध किसी अपराध अथवा अन्य किसी राजस्व के मामले सहित

वित्तीय स्वरूप का कोई अपराध एक प्रत्यर्पणीय अपराध है बशर्ते कि वह कृत्य जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है, अनुरोधकर्ता राज्य में एक अपराध हो, उसके लिए इस आधार पर प्रत्यर्पण से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का कानून उसी प्रकार का कर अथवा शुल्क नहीं लगाता है अथवा अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अनुरूप उसमें उसी प्रकार का कर, शुल्क, सीमाशुल्क अथवा मुद्रा विनिमय शामिल नहीं है।

5. कोई अपराध प्रत्यर्पणीय है चाहे वह कृत्य जिसके आधार पर अनुरोधकर्ता राज्य अपना अनुरोध तैयार करता है उस प्रदेश में घटित हुआ है जिसके ऊपर उसका क्षेत्राधिकार है अथवा नहीं है। तथापि, चाहे उन्हीं परिस्थितियों में किसी अपराध पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का कानून अपना क्षेत्राधिकार नहीं रखता है, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने स्वविवेक से इस आधार पर प्रत्यर्पण से इन्कार कर सकता है।

6. इस संधि के प्रावधानों के अनुसार किसी अपराध के संबंध में प्रत्यर्पण मंजूर किया जा सकता है, बशर्ते कि :-

- (क) अपराध को करते समय यह अनुरोधकर्ता राज्य में एक अपराध हो; और
- (ख) यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध करते समय आरोपित अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में हुआ हो, तो उसे अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के कानून के विरुद्ध एक अपराध समझा जाएगा।

7. यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध कारावास और धन संबंधी प्रतिबंध दोनों सजाओं से संबंधित है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य कारावास और धन संबंधी प्रतिबंध दोनों को लागू करने के लिए प्रत्यर्पण की मंजूरी दे सकता है।

8. यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध एक से अधिक अपराध से संबंधित हो तो प्रत्येक अपराध जो दोनों राज्यों के कानून के अन्तर्गत एक सजा योग्य अपराध है, परन्तु उनमें से कुछ पैराग्राफ 1 और 2 की अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य ऐसे अपराधों के लिए प्रत्यर्पण मंजूर कर सकता है बशर्ते कि उस व्यक्ति को कम से कम एक प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पित किया जाना है।

अनुच्छेद तीन

प्रत्यर्पण से अनिवार्य रूप से इन्कार

निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी एक परिस्थिति में प्रत्यर्पण से इन्कार किया जाएगा :

1. वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा एक राजनैतिक अपराध माना जाता है। इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित कृत्य एक राजनैतिक अपराध नहीं होता है;

- (क) वह कृत्य जो उस बहुपक्षीय अभिसमय अथवा करार में उल्लिखित एक अपराध बनता है जिसके दोनों सविदाकारी राज्य पक्षकार हैं और व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य है अथवा मुकदमा चलाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को मामले को प्रस्तुत करता है;

(ख) हत्या;

(ग) अनुरोधकर्ता राज्य अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष अथवा राज्य के उपाध्यक्ष अथवा शासन के उपाध्यक्ष अथवा ऐसे व्यक्ति के परिवार के सदस्य की हत्या अथवा उनके विरुद्ध अन्य हिंसात्मक अपराध;

(घ) गम्भीर रूप से शारीरिक क्षति पहुंचाना;

(ङ) यौन संबंधी प्रहार;

(च) अपहरण, अपगमन, बन्धक अथवा लूट-खसोट;

(छ) उन परिस्थितियों में विस्फोटक, दाहक, साधनों अथवा पदार्थों का प्रयोग जिनमें मानव जीवन खतरे में डलने की संभावना हो अथवा गम्भीर चोट पहुंचाने वाला हो, अथवा सम्पत्ति को पर्याप्त रूप से क्षति पहुंचाने वाला हो; और

(ज) (क) से (छ) के पैराग्राफों में से किसी भी, पैराग्राफ में उल्लिखित कृत्य के संबंध में प्रयास करना अथवा षडयंत्र में शामिल होना, परामर्श देना, दूसरे व्यक्ति को सहायता करना अथवा अवप्रेरित करना, कृत्य के संबंध में तथ्य के बाद एक सहायक होना।

2. इस बात का विश्वास करने के पर्याप्त आधार हों कि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध अभियोजन के प्रयोजनार्थ अथवा उक्त व्यक्ति की वंश, धर्म, राष्ट्रीयता, जातीय मूल अथवा लिंग के कारण से सजा देने के लिए किया जाता है।

3. किसी अपराध के अभियोजन के लिए जिनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है, अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अन्तर्गत समय की समाप्ति की वजह से रोक दिया जाएगा।

4. कोई अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है, सैन्य कानून के अन्तर्गत एक अपराध बनता है जो साधारण आपराधिक कानून के अन्तर्गत एक अपराध नहीं है।

5. यदि वांछित व्यक्ति को उसी अपराध के लिए अनुरोधकर्ता राज्य में अन्तिम रूप से दोषमुक्त अथवा सिद्धदोष किया गया है जिसके लिए अनुरोध किया गया है और यदि सिद्धदोष किया गया है, तो दी गई सजा पूरी तरह से लागू कर दी गई है अथवा आगे लागू योग्य नहीं है।

अनुच्छेद चार

प्रत्यर्पण से इन्कार का स्वविवेक

निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति में प्रत्यर्पण से इन्कार किया जा सकता है :

1. यदि कोई अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है, अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्राधिकार के अध्वधीन है और उक्त राज्य उस अपराध का अभियोजन करेगा।
2. यदि वांछित व्यक्ति को उस अपराध के लिए अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा अभियोजन किया जा रहा है जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है।

3. यदि अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए मौत की सजा है बशर्ते उक्त राज्य यह वचन देता है कि मौत की सजा की मांग नहीं की जाएगी, अथवा यदि मौत की सजा दी जाती है तो इसे कार्यान्वित नहीं किया जाएगा।
4. अपवादस्वरूप मामलों में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपराध की गम्भीरता और अनुरोधकर्ता राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार करता है कि आयु, मानसिक अथवा शारीरिक योग्यता जैसी व्यक्तिगत परिस्थितियों की वजह से वांछित व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना है, प्रत्यर्पण मानवीय विचारों से असंगत होगा।
5. यदि वांछित व्यक्ति उस अपराध के लिए किसी तीसरे राज्य में अन्तिम रूप से दोषमुक्त अथवा सिद्धदोष ठहराया गया है जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है और यदि सिद्धदोष है तो दी गई सजा पूरी तरह से लागू कर दी गई है अथवा आगे लागू करने योग्य नहीं है।

अनुच्छेद पांच राष्ट्रीयता

वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता के आधार पर प्रत्यर्पण से इन्कार नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद छह

अनुरोधों का प्रस्तुतिकरण

1. प्रत्यर्पण का अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जाएगा :
 - (क) भारत गणराज्य के मामले में विदेश मंत्री को;
 - (ख) दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के मामले में न्याय एवं संवैधानिक विकास मंत्री को।
2. प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनयिक माध्यमों के जरिए दिया जाएगा।

अनुच्छेद सात

प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

प्रत्यर्पण अनुरोध के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे :

- (क) सभी मामलों में चाहे व्यक्ति की मांग मुकदमा चलाने, अथवा अधिरोपण अथवा सजा को लागू के लिए की गयी है :-
 - (i) वांछित व्यक्ति का विवरण, पहचान, अवस्थिति अथवा राष्ट्रीयता के बारे में सूचना;
 - (ii) जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गयी है उस आपराधिक व्यवहार, अपराध का स्थान और तारीख के बारे में एक संक्षिप्त वक्तव्य अथवा विधिक प्रावधानों एवं दिये जाने वाले दण्ड के

बारे में एक विवरण अथवा इसके पाठ की एक प्रति। वक्तव्य में निम्नलिखित भी शामिल होंगे :-

- (कक) ये विधिक प्रावधान अपराध होने के समय और प्रत्यर्पण अनुरोध करने के समय लागू थे;
 - (खख) अपराध का अभियोजन, अधिरोपण अथवा दिये जाने वाले दण्ड का प्रवर्तन अवधि समाप्त होने के कारण कालातीत हो गयी है या नहीं; और
 - (गग) जिन मामलों में अपराध अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र के बाहर हुआ हो उन मामलों में न्यायाधिकार स्थापित करने वाले विधिक प्रावधान; और
- (क) किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए वांछित व्यक्ति के मामले में :-
- (i) अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट अथवा ऐसे ही प्रभाव के किसी दस्तावेज के मूल अथवा प्रामाणिक प्रति;
 - (ii) अभ्यारोपण, चार्ज शीट अथवा अभ्यारोपित करने वाले अन्य दस्तावेज की प्रति; अथवा
 - (iii) यदि कृत्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में किये गये तो ऐसे साक्ष्य जो वांछित व्यक्ति पर मुकदमा चलाने जाने के लिए मामला सुपुर्द किये जाने को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त हों, रेकार्ड में किसी रिपोर्ट, वक्तव्य अथवा अन्य संबद्ध दस्तावेजों को शामिल किया जा सकता है।
- (ग) किसी सजा के अधिरोपण अथवा लागू किये जाने के लिए वांछित किसी व्यक्ति के मामले में :-
- (i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित वक्तव्य जिसमें उस व्यवहार का खुलासा हो जिसके लिए व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया गया और उस दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करना जिसमें दोषसिद्धि और जहाँ लागू हो, व्यक्ति की सजा का रेकार्ड दर्ज हो; तथा
 - (ii) यदि सजा के एक भाग की तामील हो चुकी है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक वक्तव्य जिसमें सजा के बकाये अवधि का उल्लेख हो।

अनुच्छेद आठ

समर्थक दस्तावेजों का प्रमाणीकरण

जिन मामलों में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून को प्रमाणीकरण की आवश्यकता है उनमें दस्तावेजों का प्रमाणीकरण व्यक्ति के पद अथवा उपाधि सहित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की पहचान करते हुए अनुरोध करने वाले मंत्री अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति के वक्तव्य द्वारा उस मंत्री की मोहर के द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद नौ**भाषा**

इस संधि के अनुसरण में प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में होंगे।

अनुच्छेद दस**अतिरिक्त सूचना**

यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का यह मानना है कि प्रत्यर्पण अनुरोध के समर्थन में पेश की गयी सूचना इस संधि के अनुसरण में प्रत्यर्पण प्रदान किये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो वह राज्य अनुरोध कर सकता है कि उसके द्वारा निर्धारित समय के भीतर अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करायी जाए।

अनुच्छेद ग्यारह**अधित्यजन**

संधि के प्रावधानों के अनुसरण में तब भी अनुरोध प्राप्त होने पर प्रत्यर्पण प्रदान किया जा सकता है जब अनुच्छेद सात की अनिवार्यताओं का पालन नहीं किया गया बशर्ते कि वांछित व्यक्ति प्रार्थित होने की सहमति दे देता है।

अनुच्छेद बारह**अनन्तिम गिरफ्तारी**

1. तात्कालिकता के मामले में, अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी किसी भी माध्यम, (इन्टरपोल सहित) जिसमें वांछित व्यक्ति की अनन्तिम गिरफ्तारी के लिए लिखित रेकार्ड की व्यवस्था होती है, के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

2. अनन्तिम गिरफ्तारी के लिए आवेदन में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (क) वांछित व्यक्ति के हुलिये, पहचान, अवस्थिति और राष्ट्रीयता के बारे में सूचना;
- (ख) एक वक्तव्य कि प्रत्यर्पण का अनुरोध बाद में किया जाएगा;
- (ग) अपराध और लगाये जाने वाले दण्ड के स्वरूप का विवरण जिसके साथ अपराध की तिथि और स्थान सहित मामले के तथ्यों का एक सारांश भी संलग्न हो;
- (घ) गिरफ्तारी वारंट के अस्तित्व को सत्यापित करने वाला एक वक्तव्य अथवा दोषसिद्धि जिस पर यह संधि लागू होती है और उसके ब्यौरे; तथा
- (ङ) कोई अन्य सूचना जिससे अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में अनन्तिम गिरफ्तारी को न्यायोचित ठहराया जा सके।

3. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनन्तिम गिरफ्तारी के लिए आवेदन के अनुसरण में अनुरोधकर्ता राज्य को की गयी कार्रवाई की सूचना देगा।

4. अनन्तिम गिरफ्तारी रद्द की जा सकती है यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को गिरफ्तारी के साठ (60) दिनों के भीतर

अनुरोधप्राप्त नहीं होता है। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी उस राज्य के कानूनों द्वारा अनुमत सीमा तक अनुच्छेद सात में संदर्भित दस्तावेजों की प्रस्तुती के संबंध में समय सीमा को और आगे बढ़ा सकता है। तथापि वांछित व्यक्ति को व्यक्ति द्वारा देश नहीं छोड़ना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझी गयी शर्तों के अधधीन किसी भी समय जमानत दी जा सकती है।

5. साठ (60) दिन की अवधि समाप्त होने के बाद की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण वांछित नहीं होगा यदि प्रत्यर्पण अनुरोध बाद में प्राप्त होता है।

अनुच्छेद तेरह**प्रतियोगी अनुरोध**

1. यदि समान अपराध के लिए अथवा विभिन्न अपराधों के लिए उसी व्यक्ति का दो अथवा दो से अधिक राज्यों का अनुरोध प्राप्त हुआ है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य निर्णय लेगा कि उनमें से किस राज्य को उस व्यक्ति को प्रार्थित किया जाना है और वह अपने निर्णय की अधिसूचना उन राज्यों को देगा।

2. इस बात का निर्धारण करने में कि उस व्यक्ति को किस राज्य को प्रार्थित करना है, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य सभी संबद्ध परिस्थितियों, विशेषकर निम्नलिखित पर विचार करेगा :

- (क) यदि अनुरोध विभिन्न अपराधों से संबंधित है तो उन अपराधों की अपेक्षित गंभीरता;
- (ख) प्रत्येक आपराधिक कृत्य का समय और स्थान;
- (ग) अलग-अलग अनुरोधों की तिथियाँ;
- (घ) वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता;
- (ङ) व्यक्ति का सामान्य निवास स्थान;
- (च) क्या अनुरोध प्रत्यर्पण संधि के अनुसरण में किया गया;
- (छ) अलग-अलग देशों के हित; और
- (ज) पीड़ित व्यक्ति की राष्ट्रीयता।

अनुच्छेद चौदह**अभ्यर्पण**

1. प्रत्यर्पण अनुरोध पर निर्णय लिये जाने के साथ ही अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य इस निर्णय की सूचना अनुरोधकर्ता राज्य को देगा। प्रत्यर्पण अनुरोध को पूर्णतः अथवा अंशतः अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख किया जाएगा।

2. जिन मामलों में प्रत्यर्पण प्रदान किया जाता है उनमें अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी के बीच आपस में सहमत व्यवस्थाओं के अनुसरण में उस व्यक्ति को समर्पित करेगा।

3. अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा निर्धारित यथोचित अवधि के भीतर उस व्यक्ति को प्राप्त करेगा और यदि उस अवधि के भीतर उस व्यक्ति को नहीं हटाया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता

राज्य उसी अपराध के लिए उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से इन्कार कर सकता है ।

4. यदि अपने नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण संविदाकारी राज्य प्रत्यर्पित करने वाले व्यक्ति को अभ्यर्पित नहीं कर सकता अथवा हटा नहीं सकता है तो वह दूसरे संविदाकारी राज्य को अधिसूचित करेगा । संविदाकारी राज्य अभ्यर्पण की नयी तारीख पर निर्णय लेगा और इस अनुच्छेद के पैरा 3 के प्रावधान लागू होंगे ।

अनुच्छेद पन्द्रह

स्थगन अथवा अस्थायी प्रत्यर्पण

1. यदि वांछित व्यक्ति पर, जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की गयी है उस अपराध को छोड़कर अन्य अपराध के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में कार्रवाई चल रही है अथवा वह सजा काट रहा है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य कार्रवाई समाप्त होने तक अथवा दी गयी पूरी अथवा आंशिक सजा काटे जाने तक वांछित व्यक्ति को अभ्यर्पित कर सकता है अथवा अभ्यर्पण स्थगित कर सकता है । अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्य को इस प्रकार के किसी स्थगन की सूचना देगा ।

2. जिन मामलों में इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पणीय पाया गया है तो अपने कानून द्वारा अनुमत सीमा तक अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य वांछित व्यक्ति को संविदाकारी राज्यों के बीच निर्धारित शर्तों के अनुसरण में उस पर मुकदमा चलाने के लिए अनुरोधकर्ता राज्य को अस्थायी रूप से समर्पित कर सकता है । इस प्रकार समर्पित किये गये व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य में कैद रखा जाएगा और उस व्यक्ति के विरुद्ध चल रही कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् उसे अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को वापस कर दिया जाएगा । अस्थायी अभ्यर्पण के पश्चात् जिस व्यक्ति को वापस किया गया है उसे अंततः इस संधि के प्रावधानों के अनुसरण में अभ्यारोपित सजा काटने के लिए अनुरोधकर्ता राज्य को सौंप दिया जाएगा ।

अनुच्छेद सोलह

सम्पत्ति का अभ्यर्पण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने कानूनों की अनुमत सीमाओं तक और अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध पर वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय उसके अधिकार में पाई गई सम्पत्ति अथवा जिसका बाद में पता चला हो, जिसको मुकदमा चलाए जाने के दौरान अभियोजन के प्रयोग में लाया जा सकता है, को जब्त और अभ्यर्पण करेगा ।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित सम्पत्ति का अभ्यर्पण, उस स्थिति में भी जब प्रत्यर्पण प्रदान किए जाने के बाद वांछित व्यक्ति की मृत्यु अथवा भागने के कारण प्रत्यर्पण नहीं किया गया हो, किया जाएगा ।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 में संदर्भित सम्पत्ति की अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में सिविल अथवा आपराधिक कार्रवाईयों के

सिलसिले में आवश्यकता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अस्थायी रूप से इसको रख सकता है अथवा इस शर्त पर सौंप सकता है कि इसे लौटा दिया जाएगा ।

4. ऐसा कोई अधिकार जो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अथवा किसी तीसरे पक्ष का सम्पत्ति में कोई अधिकार हो सकता है, तो उसे कायम रखा जाएगा। जहां ये अधिकार मौजूद हों, यह सम्पत्ति मुकदमे के बाद जितना जल्दी संभव हो, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को बिना किसी प्रभार के लौटा दी जाएगी ।

अनुच्छेद सत्रह

विशिष्टता का नियम

1. उस व्यक्ति जिसको प्रत्यर्पित किया गया है उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी या जिस अपराध के लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया था उसके अलावा उसके समर्पण पूर्व किए गए अपराध के लिए कोई सजा नहीं दी जाएगी, न ही निम्नलिखित मामलों को छोड़कर उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता को किसी अन्य कारण के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा :

(क) जहां अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की सहमति हो;

(ख) जब उस व्यक्ति के पास अनुरोधकर्ता राज्य को छोड़ने का एक अवसर था, उसने उसकी अंतिम रिहाई के तीस (30) दिन के भीतर ऐसा नहीं किया है अथवा उसे छोड़ने के बाद उसी प्रदेश में लौट आया है ।

(ग) जहां प्रत्यर्पित व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य में एक न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष स्वीकार कर लेता है ।

2. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य चाहे तो इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अंतर्गत अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सहमति संबंधी अनुरोध, अनुच्छेद 7 में अपेक्षित संगत दस्तावेजों और संबंधित अपराध के विषय में प्रत्यर्पित व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी बयान के एक रिकार्ड के साथ भेजेगा ।

3. यदि आरोपित अपराध, जिसके लिए किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया गया है, बाद में परिवर्तित हो गया है तो उस व्यक्ति पर संशोधित विवरण के अधीन अपराध पर मुकदमा चलाया जाएगा अथवा सजा दी जाएगी, बशर्तें :

(क) पर्याप्त रूप से उन्हीं तथ्यों पर आधारित जो प्रत्यर्पण अनुरोध में दिए गए हैं और उनके समर्थन के दस्तावेजों में दिए गए हैं;

(ख) उस अपराध, जिसके लिए व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया गया, के लिए दंडनीय अधिकतम दंड अथवा उससे कम दंड दिया गया है;

(ग) अपराध की प्रकृति मूल अपराध के समान ही हो ।

अनुच्छेद अठारह

किसी तीसरे राज्य के लिए पुनः प्रत्यर्पण

1. अनुरोधकर्ता राज्य, किसी व्यक्ति के समर्पण करने पर वह राज्य उस व्यक्ति को, उसके समर्पण किए जाने से पूर्व किए गए

अपराध के संबंध में किसी तीसरे राज्य को तब तक प्रत्यर्पित नहीं करेगा जब तक कि :

- (क) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की उस प्रत्यर्पण को सहमति न हो; अथवा
- (ख) जब उस व्यक्ति के पास अनुरोधकर्ता राज्य को छोड़ने का अवसर था, जिस अपराध के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा उस व्यक्ति का समर्पण किया गया था और उसने उसकी अंतिम रिहाई के 30 दिन के भीतर ऐसा नहीं किया अथवा उसे छोड़ने के बाद, यदि वह व्यक्ति स्वतः अनुरोधकर्ता राज्य में लौट आया।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य इस अनुच्छेद के उप-पैरा 1(क) के अनुसरण में तीसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की मांग का अनुरोध कर सकता है।

अनुच्छेद उन्नीस

पारगमन

1. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा उसके अपने कानूनों की अनुमत सीमाओं तक, किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, अन्य संविदाकारी राज्य के क्षेत्र से होकर पारगमन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। पारगमन का अनुरोध :—

- (क) किसी अन्य तरीकों द्वारा भेजा जा सकता है; और
- (ख) अनुच्छेद 12 के पैरा 2 में संदर्भित सूचना और पारगमन किए जाने वाले के विवरण और अंतिम प्रस्तावित समर्पण सूचना संलग्न की जाएगी।

2. जब पारगमन वायुयान से किया जाता है और वायुयान का पारगमन राज्य में उतरना निर्धारित नहीं है, तो पारगमन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। निर्धारित कार्यक्रम के बिना उतरने की स्थिति में अनुरोधकर्ता राज्य पैरा 1 के अनुसार पारगमन के लिए अनुरोध करेगा। अपने कानूनों की अनुमत सीमाओं तक पारगमन राज्य पारगमन करने वाले व्यक्ति को अनुरोध प्राप्त होने और पारगमन किए जाने तक निरुद्ध कर लेगा, बशर्ते कि निर्धारित कार्यक्रम के बिना उतरने के बाद 48 घंटे के भीतर अनुरोध प्राप्त हो जाए।

अनुच्छेद बीस

व्यय

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करेगा और इन कार्रवाईयों पर होने वाले व्ययों को वहन करेगा।
2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने क्षेत्र में प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी और अनुरोधकर्ता राज्य को प्रत्यर्पण किए जाने तक उस व्यक्ति के रखरखाव, पर होने वाले व्यय को वहन करेगा।
3. अनुरोधकर्ता राज्य, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र से प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति पर होने वाले व्यय को वहन करेगा।

अनुच्छेद इक्कीस

अभिसमयों और संधियों के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताएं

मौजूदा संधि संविदाकारी राज्यों के उन अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों अथवा संधियों से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगी, जिनके वे पक्षकार हैं।

अनुच्छेद बाईस

परामर्श

भारत गणराज्य का विदेश मंत्रालय और दक्षिण अफ्रीका का न्याय और संवैधानिक विकास विभाग अथवा उनके अपने-अपने मंत्रालय द्वारा नामित व्यक्ति राजनयिक माध्यमों से इस संधि के व्यक्तिगत मसलों पर और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आपस में परामर्श कर सकते हैं।

अनुच्छेद तेईस

लागू होना, संशोधन और निरस्त्रीकरण

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्याधीन होगी और जितना जल्दी हो सके इन अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जायेगा।
2. यह संधि अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगी।
3. इस संधि को आपसी सहमति से संशोधित किया जा सकता है।
4. दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस संधि को निरस्त कर सकता है। यह निरस्त्रीकरण दूसरे संविदाकारी राज्य को अधिसूचित किए जाने की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होगी।
5. संविदाकारी राज्य, इस संधि को आपसी सहमति से राज्यों के बीच सहमत शर्तों और विनियमों पर भी निरस्त कर सकते हैं।

जिनके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज 16 अक्टूबर, 2003 (दो हजार तीन) को हिंदी और अंग्रेजी में, दो-दो मूल पाठों में सम्पन्न, दोनों पाठ समान रूप में प्रमाणिक हैं। तथापि, निर्वचन की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

अतः, इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1964 का 34) की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध अध्याय-III के अतिरिक्त, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दक्षिण अफ्रीका गणराज्य पर लागू होंगे।

[टी 413/21/2000]

पी. एम. मीणा, संयुक्त सचिव (कोंसुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**ORDER**

New Delhi, the 8th June, 2007

Treaty on Extradition between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of South Africa

G.S.R. 441(E).—Whether the Extradition Treaty between the Republic of India and Republic of South Africa was signed at New Delhi, on 16th October, 2003, and the instruments of ratification were exchanged at Pretoria on 23rd November, 2005 in accordance with article 23 of the Treaty and which treaty provides as follows :

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of South Africa, hereby referred to as “the Contracting States,”

Desiring to make more effective their co-operation in the prevention and suppression of crime by concluding a Treaty on Extradition;

Affirming their respect for each other’s legal systems and judicial institutions;

Have agreed as follows :

Article 1**OBLIGATION TO EXTRADITE**

Each Contracting State agrees to extradite to the other, in accordance with the provisions of this treaty, persons who are wanted for trial/prosecution or the imposition or enforcement of a sentence in the Requesting State for an extradition offence.

Article 2**EXTRADITABLE OFFENCES**

1. For the purpose of this Treaty, extradition shall be granted for conduct, which constitutes an offence under the laws of both Contracting State, punishable by deprivation of liberty for at least one year or by a more severe penalty.

2. Where the request for extradition relate to a person sentenced to deprivation of liberty by a court of the Requesting State for an extraditable offence, extradition shall be granted if a period of at least six months of the sentence remains to be serviced.

3. For the purpose of this Article, in determining whether conduct is an offence against the law of Requested State—

- (a) it shall not matter whether the laws of the Contracting States place the conduct constituting the offence within the same category of offence or describe the offence by the same terminology;

- (b) the totality of the conduct alleged against the person whose extradition is sought shall be taken into account and it shall not matter whether, under the laws of the Contracting States, the constituent elements of the offence differ.

4. An offence of a fiscal character, including an offence against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange control or any other revenue matter, is an extraditable offence. Provided that the conduct for which extradition is sought is an offence in the Requested State, extradition may not be refused on the ground that the law of the Requested State does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, duty, customs, or exchange regulation of the same kind as the law of the Requesting State.

5. An offence is extraditable whether or not the conduct on which the Requesting State bases its request occurred in the territory over which it has jurisdiction. However, where the law of the Requested State does not provide for jurisdiction over an offence in similar circumstances, the Requested State may, in its discretion, refuse extradition on this basis.

6. Extradition may be granted pursuant to the provisions of this Treaty in respect of an offence provided that —

- (a) it was an offence in the Requesting State at the time of the commission of the offence; and
(b) the offence alleged, if it had taken place in the Requested State at the time of the making of the request for extradition, would have constituted an offence against the law of the Requested State.

7. If the request for extradition relates to a sentence of both imprisonment and a pecuniary sanction, the Requested State may grant extradition for the enforcement of both the imprisonment and the pecuniary sanction.

8. If the request for extradition related to more than one offence, each of which is punishable under the laws of both States, but some of which do not meet the other requirements of paragraphs 1 and 2, the Requested State may grant extradition for such offences provided that the person is to be extradited for at least one extraditable offence.

Article 3**MANDATORY REFUSAL OF EXTRADITION**

Extradition shall be refused in any of the following circumstances :

1. Where the offence for which extradition is requested is considered by the Requested State to be a political offence. For the purpose of this paragraph, the following conduct does not constitute a political offence :

- (a) Conduct that constitutes an offence mentioned in a multilateral convention or agreement to which

both Contracting States are parties and are obliged to extradite the person or submit the matter to appropriate authorities for prosecution;

- (b) murder;
- (c) a murder of or other violent crime against a Head of State or a Head of Government or Deputy Head of State or Deputy Head of Government of the Requesting or Requested State, or a member of such person's family;
- (d) inflicting serious bodily harm;
- (e) Sexual assault;
- (f) kidnapping, abduction, hostage-taking or extortion;
- (g) using explosives, incendiaries, devices or substances in circumstances in which human life is likely to be endangered or serious bodily harm or substantial property damage is likely to be caused; and
- (h) an attempt or conspiracy to engage in, counselling, aiding or abetting another person to engage in, or being an accessory after the fact in relation to, the conduct referred to in any of paragraphs (a) to (g).

2. Where there are substantial grounds for believing that the request for extradition is made for the purpose of prosecuting or punishing the person by reason of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, or sex.

3. Where the prosecution for the offence for which extradition is requested would be barred by lapse of time under the law of the Requesting State.

4. Where the offence for which extradition is requested constitutes an offence under military law, which is not an offence under ordinary criminal law.

5. Where the person sought has been finally acquitted or convicted in the Requested State for the same offence for which extradition is requested and, if convicted, the sentence imposed has been fully enforced or is no longer enforceable.

Article 4

DISCRETIONARY REFUSAL OF EXTRADITION

Extradition may be refused in any of the following circumstances :

1. Where the offence for which extradition is requested is subject to the jurisdiction of the Requested State and that State will prosecute that offence.

2. Where the person sought is being prosecuted by the Requested State for the offence for which extradition is requested.

3. Whether the offence carried the death penalty under the law of the Requesting State, unless that State undertakes that the death penalty will not be sought, or if a sentence of death is imposed, it will not be carried out.

4. Where, in exceptional cases, the Requested State while also taking into account the seriousness of the offence and the interests of the Requesting State considers that because of the personal circumstances, such as age, mental or physical ability to stand trial, of the person sought, the extradition would be incompatible with humanitarian considerations.

5. Where the person sought has been finally acquitted or convicted in a third State for the same offence for which extradition is requested and, if convicted, the sentence imposed has been fully enforced or is no longer enforceable.

Article 5

NATIONALITY

Extradition shall not be refused on the ground of the nationality of the person sought.

Article 6

PRESENTATION OF REQUESTS

1. A request for extradition shall be submitted—
 - (a) in the case of the Republic of India, to the Minister of External Affairs;
 - (b) in the case of the Republic of South Africa, to the Minister for Justice and Constitutional Development.
2. The request for extradition shall be routed through the diplomatic channels.

Article 7

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

The following documents shall be submitted in support of a request for extradition :

- (a) in all cases, whether the person is sought for prosecution or the imposition or enforcement of sentence—
 - (i) information about the description, identity, location and nationality of the person sought;
 - (ii) a Statement describing briefly the conduct constituting the offence for which the extradition is requested, indicating the place and the date of the commission of the offence and which provides a description or a copy of the text of the legal provisions describing the offence and the applicable penalty. This statement shall also indicate—
 - (aa) that these legal provisions were in force both at the time of the commission of the offence and at the time of the extradition request;

- (bb) whether or not the prosecution of the offence, the imposition or the enforcement of any applicable penalty is barred by reason of lapse of time;
- (cc) where the offence occurred outside the territory of the Requesting State, the legal provisions establishing its jurisdiction; and
- (b) in the case of a person sought for prosecution for an offence
- (i) the original or a certified true copy of the warrant of arrest or of any document having the same force and effect, issued by a competent authority in the Requesting State;
 - (ii) a copy of the indictment, charge sheet or other charging document; and
 - (iii) evidence that would be sufficient to justify the committal for trial of the person sought, if the conduct had occurred in the Requested State. The record may include any report, statement or other relevant documentation.
- (c) in the case of a person sought for the imposition or enforcement of a sentence—
- (i) a certified statement by the competent authority describing the conduct for which the person was convicted and attaching a copy of the document that records the conviction and, where applicable, sentence of the person; and
 - (ii) If a portion of the sentence has already been served, a statement by the competent authority specifying the duration of the sentence which remains to be served.

Article 8

AUTHENTICATION OF SUPPORTING DOCUMENTS

Where the law of the Requested State requires authentication, documents shall be authenticated by a statement by the Minister making the request or a person designated by here or him under the seal of that Minister identifying the person who has signed the document, including that person's position or title.

Article 9

LANGUAGE

All documents submitted in accordance with this Treaty shall be in the English language.

Article 10

ADDITIONAL INFORMATION

If the Requested State considers that the information furnished in support of a request for extradition is not

sufficient in accordance with this Treaty to enable extradition to be granted, that State may request that additional information be furnished within such time as it specifies.

Article 11

WAIVER

Extradition of a person may be granted on request pursuant to the provisions of this Treaty, notwithstanding that the requirements of Article 7 have not been complied with, provided that the person sought consents to being extradited.

Article 12

PROVISIONAL ARREST

1. In case of urgency, the competent authorities of the Requesting State may apply by any means [including through the International Police Organisation (INTERPOL)] which allows for a written record for the provisional arrest of the person sought.

2. An application for provisional arrest shall include the following :

- (a) information about the description, identity, location and nationality of the person sought;
- (b) a statement that a request for extradition will follow;
- (c) a description of the nature of the offence and applicable penalty, with a brief summary of the facts of the case, including date and place of the offence;
- (d) a statement attesting to the existence of a warrant of arrest or a conviction to which this Treaty applies and details thereof; and
- (e) any other information which would justify provisional arrest in the Requested State.

3. The Requested State shall promptly inform the Requesting State of the Measures taken pursuant to the application for provisional arrest.

4. Provisional arrest shall be terminated if the Requested State has not received the request within sixty (60) days of the arrest. The competent authorities of the Requested State, insofar as is permitted by the law of that State, may extend that delay with regard to the submission of the documents referred to in Article 7. However, the person sought may be granted bail at any time, subject to the conditions deemed necessary to ensure that the person does not leave the country.

5. The expiry of the sixty (60) day period does not preclude subsequent arrest and extradition if a request for extradition is subsequently received.

Article 13**COMPETING REQUESTS**

1. Where requests are received from two or more States for the extradition of the same person either for the same offence or for different offences, the Requested State shall determine to which of those states the person is to be extradited and shall notify those states of its decision.

2. In determining to which State a person is to be extradited, the Requested State shall have regard to all the relevant circumstances, and, in particular, to—

- (a) the relative seriousness of those offences, if the requests relate to different offences;
- (b) the time and place of commission of each offence;
- (c) the respective dates of the requests;
- (d) the nationality of the person sought;
- (e) the ordinary place of residence of the person;
- (f) whether the requests were made pursuant to an extradition treaty;
- (g) the interests of the respective States; and
- (h) the nationality of the victim.

Article 14**SURRENDER**

1. The Requested State shall, as soon as a decision on the request for extradition has been made, communicate that decision to the Requesting State. Reasons shall be given for any complete or partial refusal of an extradition request.

2. Where extradition is granted, the Requested State shall surrender the person in accordance with arrangements agreed to between the competent authorities of the contracting States.

3. The Requesting State shall receive the person within such reasonable period as the Requested State specifies and, if the person is not removed within that period, the Requested State may refuse to extradite that person for the same offence.

4. If circumstances beyond its control prevent a contracting State from surrendering or removing the person to be extradited it shall notify the other contracting State. The contracting States shall decide upon a new date of surrender and the provisions of paragraph 3 of this article shall apply.

Article 15**POSTPONED OR TEMPORARY SURRENDER**

1. Where the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested State for

an offence other than that for which extradition is requested, the Requested State may surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the proceedings or the service of the whole or any part of the sentence imposed. The Requested State shall inform the Requesting State of any postponement.

2. To the extent permitted by its law, where a person referred to in paragraph 1 of this Article has been found extraditable, the Requested State may temporarily surrender the person sought for the purposes of prosecution to the Requesting State in accordance with conditions to be determined between the Contracting States. The person so surrendered shall be kept in custody in the Requesting State and shall be returned to the Requested State after the conclusion of the proceedings against that person. A person who is returned to the Requested State following a temporary surrender shall be finally surrendered to the Requesting State to serve any sentence imposed, in accordance with the provisions of this Treaty.

Article 16**SURRENDER OF PROPERTY**

1. The Requested States shall, in so far as its law permits and at the request of the Requesting State, seize and surrender property that may be used in the prosecution of the offence and which, at the time of the arrest, is found in the possession of the person sought or is discovered subsequently.

2. The property mentioned in paragraph 1 of this Article shall be surrendered even if extradition having been granted, cannot be carried out owing to the death or escape of the person sought.

3. Where the property referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article is required in the Requested State in connection with civil or criminal proceedings, the Requested State may temporarily retain or surrender it on condition that it be returned.

4. Any rights that the Requested State or third parties may have acquired in the property shall be preserved. Where these rights exist, the property shall be returned without charge to the Requested State as soon as possible after the trial.

Article 17**RULE OF SPECIALITY**

1. A person who has been extradited shall not be prosecuted, sentenced or detained for any offence committed prior to the surrender other than that for which that person was extradited, nor shall the person's liberty be restricted for any other reason, except in the following cases :

- (a) where the Requested State consents;

- (b) where the person, having had an opportunity to leave the Requesting state, has not done so within thirty (30) days of final discharge, or has voluntarily returned to that State after having left it; or
- (c) where the person extradited consents before a judicial authority in the Requesting State.

2. A request for the consent of the Requested State under paragraph 1 of this Article shall, if required by the Requested State, be accompanied by the relevant documents required by Article 7 and a record of any statement made by the extradited person in respect of the offence concerned.

3. If the charge for which the person was extradited is subsequently changed, that person may be prosecuted or sentenced provided the offence under its revised description is :

- (a) based on substantially the same facts contained in the extradition request and is supporting documents;
- (b) punishable by the same maximum penalty as, or a lesser penalty than, the offence for which the person was extradited; and
- (c) substantially the same in nature to the original offence.

Article 18

RE-EXTRADITION TO A THIRD STATE

1. Where a person has been surrendered to the Requesting State, that State shall not extradite the person to any third State for an offence committed before that person's surrender unless—

- (a) the Requested State consents to that extradition; or
- (b) the person has had an opportunity to leave the Requesting State and has not done so within thirty (30) days of final discharge in respect of the offence for which that person was surrendered by the Requested State or if the person has voluntarily returned to the Requesting State after having left it.

2. The Requested State may request the production of the documents submitted by the third State in relation to any consent pursuant to sub-paragraph 1(a) of this Article.

Article 19

TRANSIT

1. To the extent permitted by its law, transit of a person sought in extradition proceedings by one Contracting State, through the territory of the other

Contracting State shall be granted on a request in writing. The request for transit—

- (a) may be transmitted by any means; and
- (b) shall contain the information referred to in paragraph 2 of Article 12, and the particulars of the transit and ultimate proposed surrender.

2. No authorization for transit shall be necessary when air travel is used and no landing is scheduled in the territory of the transit State. In the case of an unscheduled landing, the transit State may require the request for transit provided for in paragraph 1. To the extent permitted by its law, the transit State shall detain the person in transit until the request is received and the transit is carried out, provided that the request is received within forty eight (48) hours after the unscheduled landing.

Article 20

EXPENSES

1. The Requested State shall make all necessary arrangements for and meet the cost of any proceedings arising out of a request for extradition.

2. The Requested State shall bear the expenses incurred in its territory in the arrest of the person whose extradition is sought, and in the maintenance in custody of the person until surrender to the Requesting State.

3. The Requesting State shall bear the expense incurred in conveying the person extradited from the territory of the Requested State.

Article 21

INTERNATIONAL OBLIGATIONS UNDER CONVENTIONS AND TREATIES

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from international conventions or treaties to which they are parties.

Article 22

CONSULTATION

The Ministry of External Affairs of the Republic of India and the Department for Justice and Constitutional Development of the Republic of South Africa or persons designated by the respective Ministers may consult with each other through the diplomatic channel in connection with the processing of individual cases and in furtherance of efficient implementation of this Treaty.

Article 23

ENTRY INTO FORCE, AMENDMENT AND TERMINATION

1. This Treaty shall be subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

2. This Treaty shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

3. This treaty may be amended by mutual consent.

4. Either Contracting State may terminate this Treaty. The termination shall take effect six (6) months from the date on which it was notified to the other Contracting State.

5. The Contracting State may also terminate this Treaty by mutual consent on such terms and conditions as may be agreed to between the States.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done at New Delhi this the 16th day of October of the year Two Thousand and Three, in two originals each, in Hindi and English, both text being equally authentic. However, in case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section 1 of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Republic of South Africa from the date of publication of this order.

[T 413/21/2000]

P. M. MEENA, Jt. Secy. (Consular)